



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण 1939 (श10)

(सं0 पटना 1092) पटना, बुधवार, 22 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

22 नवम्बर 2017

**एस. ओ. 296 दिनांक 22 नवम्बर 2017**—बिहार गजट (असाधारण अंक) में एस. ओ. 67, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में,—  
अनुसूची में,—

- (i) क्रम सं0 59, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "9" के स्थान पर "7, 9 या 10" पढ़ा जाये ;
- (ii) क्रम सं0 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "2302", के स्थान पर "2301, 2302" पढ़ा जाये।

[(सं0सं0-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017(खंड-1)-4191)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

22 नवम्बर 2017

एस०ओ० 297, एस०ओ० 296 दिनांक 22 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017(खंड-1)-4191)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

**The 22<sup>nd</sup> November 2017**

S.O. 296, Dated 22nd November 2017— In the Notification No. 2/2017 State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, of the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, published in the Gazette of Bihar, Extraordinary, vide S.O. 67, dated 29<sup>th</sup> June, 2017- In the Schedule,-

- (i) in S. No.59, in column (2), for “9”, read “7, 9 or 10”;
- (ii) in S. No.102, in column (2), for “2302”, read “2301, 2302”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-1) -4191)]

By the order of Governor of Bihar,  
SUJATA CHATURVEDI,  
*Commissioner-cum-Principal Secretary,*  
*Commercial Taxes Department.*

—  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 1092-571+10-डी0टी0पी01  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>